संख्या- 238 /2023/3056/चार-2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
   संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
   लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 25 जुलाई, 2023

विषयः- उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सक्रिय कीर्तन/भजन मण्डलियों/पौराणिक एवं सांस्कृतिक मण्डलियों से सम्बन्धित दलों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लिखित विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य तौर पर कीर्तन/भजन मण्डलियों/पौराणिक एवं सांस्कृतिक मण्डलियों द्वारा रामलीला, कृष्णलीला आदि सांस्कृतिक आयोजनों का प्रस्तुतीकरण होता रहता है। इन मण्डलियों द्वारा हमारी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को आगामी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा रहा है। इस स्तर पर यह भी अनुभवगम्य हुआ है कि इन मण्डलियों को संरक्षण न मिलने के कारण धीरे-धीरे यह मण्डलियाँ विलुप्त सी होती जा रही हैं। ऐसी वर्णित दशा में संस्कृति विभाग द्वारा इन मण्डलियों का व्यापक संरक्षण किये जाने के उद्देश्य से सभी मण्डलियों का अभिलेखीकरण किये जाने की परियोजना संचालित की गई है जिससे इन अमूर्त धरोहरों को संरक्षित कर इसे रोजगार से जोड़ा जा सके।

2- संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न लोक संस्कृतियों/विधाओं के अभिलेखीकरण का कार्य किया जाता है। कलाकारों के अभिलेखीकरण हेतु आनलाइन पंजीकरण की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी गई है जो विभाग के वेबसाइट पर https://upculture.up.nic.in/hi उपलब्ध है। इन पंजीकृत कलाकारों को, आवश्यकतानुसार, विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों में समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

3- कीर्तन/भजन मण्डलियों/पौराणिक एवं सांस्कृतिक आयोजक मण्डलियों का पंजीकरण https://culturalevents.in/home/registration/ पोर्टल पर निःशुल्क किया जा सकता है। पंजीकृत मण्डलियों को स्थानीय मेलों, तीज त्यौहारों एवं अन्य विभिन्न अवसरों पर, संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में, प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया जायेगा। कीर्तन/भजन मण्डलियों/पौराणिक एवं सांस्कृतिक आयोजक मण्डलियों के पंजीकरण हेतु गाइड लाइन निम्नवत् हैं :-

- कीर्तन/भजन मण्डलियों/पौराणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में से जिस सांस्कृतिक कार्यक्रम का पंजीकरण होना है, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
- मण्डली/दल कम से कम 5 वर्ष पुराने होने चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- मण्डली/दल को कम से कम (प्राइवेट व सरकारी मिलाकर) 10 कार्यक्रम किये जाने का अनुभव होना चाहिए, जिसका प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत किया जाये।
- मण्डली/दल यदि किसी मंदिर या संस्था से सम्बद्ध है तो वहां के प्रबंधक व संयोजक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये।
- मण्डली/दल द्वारा सरकारी विभागों में कार्यक्रम करने की स्थिति में सम्बन्धित विभागों से प्रमाण-पत्र अथवा कार्यादेश प्रस्तुत किया जाये।
- मण्डली/दल द्वारा भजन/कीर्तन की भक्तिधारा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।
- मण्डली/दल में न्यूनतम 06 सदस्य हों लेकिन अधिकतम की सीमा ना रखी जावे। 25 सदस्यों तक भी हो सकते हैं, जिनके नामों का उल्लेख पोर्टल पर स्पष्ट रूप से किया जाये।
- मण्डली/दल का पंजीयन ऑनलाइन व जिला पर्यटन संस्कृति परिषद द्वारा ऑफलाइन कैम्प लगाकर भी कराया जाये।

4- उल्लिखित समस्त के क्रम में, कृपया, प्रत्येक ग्राम पंचायत की कीर्तन/भजन मण्डलियों/ पौराणिक एवं सांस्कृतिक आयोजक मण्डलियों से सम्बन्धित दलों का संरक्षण/अभिलेखीकरण किये जाने हेतु, यथाशीघ्र, पंजीकरण की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

संख्या- 238 /2023/3056(1)/चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस हेतु विभाग के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस हेतु विभाग के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।